

बिहार सरकार
पंचायती राज विम ग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
(कैमूर एवं मुंगेर को छोड़कर)।

पटना, दिनांक 12/3/2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंचायत उप निर्वाचन, 2020 हेतु राशि का आवंटन।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत उप निर्वाचन, 2020 हेतु "मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-109- पंचायतों/ स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" के यात्रा व्यय इकाई 0002.11.01 में कुल ₹84,53,210.00 (चौरासी लाख तिरपन हजार दो सौ दस रुपये) मात्र एवं कार्यालय व्यय इकाई 0002.13.01 में कुल ₹2,41,94,700.00 (दो करोड़ इकतालीस लाख चौरानवें हजार सात सौ रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹3,26,47,910.00 (तीन करोड़ छब्बीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ दस रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:-

क्र०	जिला का नाम	मतदान केन्द्रों की अनुमानित संख्या	कार्यालय व्यय इकाई अंतर्गत ₹8100.00 की दर से आवंटित राशि	यात्रा व्यय इकाई अंतर्गत ₹2830.00 की दर से आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	बक्सर	26	210600	73580	284180
2	रोहतास	39	315900	110370	426270
3	भोजपुर	52	421200	147160	568360
4	नालंदा	39	315900	110370	426270
5	पटना	52	421200	147160	568360
6	गया	65	526500	183950	710450
7	नवादा	165	1336500	466950	1803450
8	औरंगाबाद	65	526500	183950	710450
9	जहानाबाद	13	10530	36790	142090
10	अरवल	26	210600	73580	284180
11	सारण	607	4916700	1717810	6634510
12	सीवान	208	1684800	588640	2273440
13	गोपालगंज	91	737100	257530	994630
14	मुजफ्फरपुर	208	1684800	588640	2273440

15	वैशाली	26	210600	73580	284180
16	पूंचम्पारण	78	631800	220740	852540
17	पूंचम्पारण	39	315900	110370	426270
18	सीतामढी	13	105300	36790	142090
19	शिवहर	26	210600	73580	284180
20	भागलपुर	104	842400	294320	1136720
21	बांका	52	421200	147160	568360
22	मधुबनी	117	947700	331110	1278810
23	समस्तीपुर	78	631800	220740	852540
24	दरभंगा	65	526500	183950	710450
25	सहरसा	65	526500	183950	710450
26	मधेपुरा	26	210600	73580	284180
27	सुपौल	52	421200	147160	568360
28	पूर्णिया	78	631800	220740	852540
29	अररिया	52	421200	147160	568360
30	किशनगंज	52	421200	147160	568360
31	कटिहार	39	315900	110370	426270
32	जमुई	213	1725300	602790	2328090
33	बेगुसराय	65	526500	183950	710450
34	खगडिया	39	315900	110370	426270
35	लखीसराय	26	210600	73580	284180
36	शेखपुरा	26	210600	73580	284180
कुल योग		2987	24194700	8453210	32647910

(तीन करोड छब्बीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ दस रुपये) मात्र

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) होंगे।
3. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2015001090002 है।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।
5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019, 6786 दिनांक 19.08.20 9 एवं 885 दिनांक 03.02.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(Handwritten signatures)

७

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य संगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2019/न० 254/पं०रा० पटना, दिनांक 12/3/19
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी प्रशाखा-05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-06/2019/न० 254/पं०रा० पटना, दिनांक 12/3/19
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी